

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर  
दिनांक 18/12/2025

क्रमांक/रीडर/2025/ 829

तहसीलदार राजस्व  
पल्लू

मुकदमा संख्या : 64/2025 प्रार्थना पत्र रास्ता स्वीकृति  
अनवान मुकदमा :-

1. इन्द्रा पत्नि मनीराम जाति जाट निवासी घणियासर तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़।
2. महावीर पुत्र लुणाराम जाति जाट निवासी घणियासर तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़।
3. कृष्ण पुत्र चन्दाराम जाति जाट निवासी घणियासर तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़।  
- प्रार्थीगण

बनाम

1. मालाराम पुत्र हरचन्द जाति जाट निवासी घणियासर तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़।
2. किड़ती पुत्री घेरुराम जाति जाट निवासी घणियासर तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़।
3. गुडडी पुत्री घेरुराम जाति जाट निवासी घणियासर तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़।
4. पारी पुत्री घेरुराम जाति जाट निवासी घणियासर तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़।
5. बाधू पुत्री घेरुराम जाति जाट निवासी घणियासर तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़।
6. मनीराम पुत्र आदूराम जाति जाट निवासी पूरबसर तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़।
7. मोहरादेवी पत्नि घेरुराम जाति जाट निवासी घणियासर तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व पल्लू तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़।  
- अप्रार्थीगण

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क)  
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपर्युक्त विषयान्तर्गत इस न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र रास्ता स्वीकृति पर दिनांक 19.12.2025 को निर्णय करते हुये अप्रार्थी संख्या 2 ता 7 की कृषि भूमि रोही मौजा रेखधिरियासर के खसरा नम्बर 33 के पूर्वी पासा पर 16.5 फुट चौड़ाई व दक्षिण से उतर लम्बाई में व अप्रार्थी संख्या 1 की कृषि भूमि रोही मौजा रेखधिरियासर के खसरा नम्बर 32 में दक्षिण से उतर लम्बाई में व 16.5 फुट चौड़ाई में व प्रार्थी संख्या 3 कृष्ण कुमार की रोही मौजा रेखधिरियासर के खसरा नम्बर 23 की कृषि भूमि के पूर्वी पासा पर दक्षिण से उतर लम्बाई में व 16.5 फुट चौड़ाई में व प्रार्थी संख्या 2 महावीर की कृषि भूमि रोही मौजा रेखधिरियासर के खसरा नम्बर 191/26 के उतरी पासा पर पश्चिम से पूर्व लम्बाई व 16.5 फुट चौड़ाई में व प्रार्थी संख्या 1 इन्द्रा की कृषि भूमि रोही मौजा रेखधिरियासर के खसरा नम्बर 184/26 के उतरी पासा पर पश्चिम से पूर्व लम्बाई व 16.5 फुट चौड़ाई में रास्ता स्वीकृत किये जाने के आदेश दिये जाते है। अतः आप इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को अन्दर 7 दिनों में पेश करे।

सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी राजस्व  
रावतसर